भाग I

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 दिसम्बर, 2004

[1]पंजाब पशुधन तथा पक्षी रोग अधिनियम, 1948

(1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 47)

[दि पंजाब लाइव्-स्टॉक ऐन्ड बॅ:डज़ डिज़ीज़ज़ ऐक्ट, 1948, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 नवम्बर, 2004, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1948	47	पंजाब पशुधन तथा पक्षी रोग अधिनियम, 1948	विधि अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा भागत: संशोधित।
			1959, के पंजाब अधिनियम 5 द्वारा ऐसे राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया, जो प्रथम नवम्बर, 1956, से तुरन्त पूर्व पटियाला राज्य तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शामिल थे।[2]
			1961 के पंजाब अधिनियम 33 द्वारा संशोधित।[3]
			1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा संशोधित।[4]
			हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा संशोधित।[5]

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये देखिए पूर्वी पंजाब राजपत्र (असाधारण) 1948, पृष्ठ 262 प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए पूर्वी पंजाब राजपत्र, 1948, भाग 5, पृष्ठ 8-18 विधान सभा में कार्यवाहियों के लिए देखिए पूर्वी पंजाब विधान सभा विचार विमर्श, 1948, जिल्द 2, पृष्ठ 876 तथा 925-40 तथा जिल्द 3, 1948, पृष्ठ 204-206.
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1958, पृष्ठ 1987.
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1961, पृष्ठ 173.
4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1964, पृष्ठ 935-937.
5. देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 अक्तूबर, 1968, पृष्ठ 531-567.

(ख) धारा 10 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में [1][पशुधन या पक्षियों] को किसी बाजार में रखता है या अभिवृद्धि करता है या मेला प्रदर्शनी या अन्य एकत्रीकरण में भाग लेता है;

(ग) धारा 11 के उल्लंघन में संक्रामी [1][पशुधन या पक्षी] या धारा 11 में वर्णित कोई वस्तु जो संक्रामण ला सकती है, या [1][पशुधन या पक्षी] के शव जो उनकी मृत्यु के समय संक्रामी थे, को बेचता है या अन्यथा दुर्व्यापार करता है, या बेचने या दुर्व्यापार करने का प्रयास करता है ;

(घ) एक सार्वजनिक वाहक होते हुए [1][पशुधन या पक्षियों] के वहन के लिए प्रयोग की गई किसी वाहिका या वाहन को ऐसी रीति में जो धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित है या उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन निरीक्षक द्वारा यथाअपेक्षित सफाई करने या रोगाणुनाशित करने में असफल रहता है;

(ङ) धारा 13 के उल्लंघन में, रिपोर्ट करने में असफल रहता है कि कोई [1][पशुधन या पक्षी] संक्रामी है;

(च) धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षक द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(छ) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन पशु-चिकित्सा शल्य-चिकित्सक द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(ज) धारा 24 के उल्लंघन में किसी संक्रमित स्थल से किसी [1][पशुधन या पक्षी] या वस्तु को हटाता है;

जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में एक सौ रुपये तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अपरिवेष्टित भूमि में संक्रमित [1][पशुधन या पक्षियों] को रखने या चराने के लिए शास्ति ।

29. जो कोई भी, किसी वन, खुले क्षेत्र, सड़क किनारे, या अन्य अपरिवेष्टित भूमि जिस पर अन्य व्यक्तियों को, अपने [1][पशुधन या पक्षी] के लिए पहुंच का अधिकार है, में या पर किसी [1][पशुधन या पक्षी], जिनके संक्रामी होने के बारे में वह जानता है, को रखता है या चराता है, जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में एक सौ रुपये या द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

बाजार में संक्रामी [1][पशुधन या पक्षियों] को लाने के लिए शास्ति।

30. जो कोई भी, किसी [1][पशुधन या पक्षी] जिनके संक्रामी होने के बारे में वह जानता है, को किसी बाजार, मेला, प्रदर्शनी या [1][पशुधन या पक्षी] के अन्य सकेन्द्रण में लाता है या लाने का प्रयास करता है, तो वह जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में एक सौ रुपये या द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

1. 1961, के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

संक्रामी [1][पशुधन या पक्षियों] के शवों को नदी में डालने के लिए शास्ति।

31. जो कोई भी, किसी [1][पशुधन या पक्षी], जो उसकी मृत्यु के समय संक्रामी था या जो संक्रामी होने के कारण या जिसके संक्रामी होने का सन्देह होने के कारण नष्ट कर दिया गया है, के शव या शव के किसी भाग को किसी नदी में या अन्य पानी में डालता है या डलवाता है या डलवाने की अनुज्ञा देता है, कारावास की अवधि से, जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये या द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में पांच सौ रुपये, तक हो सकता है या कारावास या जुर्माना दोनों से, दण्डनीय होगा।

रोगग्रस्त [1][पशुधन या पक्षियों] के शव खोदकर निकालने के लिए शास्ति।

32. जो कोई भी, विधिक प्राधिकार के बिना किसी [1][पशुधन या पक्षी], जो उसकी मृत्यु के समय पर संक्रामी था या जो संक्रामी होने के कारण या जिनके संक्रामी होने का सन्देह होने के कारण नष्ट कर दिया गया है, के शव या शव के किसी भाग को खोदकर निकालता है या निकलवाता है, जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में एक सौ रुपये या द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

निरीक्षक द्वारा विद्वेषपूर्वक तथा तंग करने की दृष्टि से प्रवेश या जब्ती के लिए शास्ति।

33. जो कोई भी, निरीक्षक होते हुए, विद्वेषपूर्वक तथा तंग करने की दृष्टि से किसी भूमि या भवन या किसी अन्य स्थान या किसी वाहिका या वाहन में प्रवेश करता है या निरीक्षण करता है या किसी [1][पशुधन या पक्षी] को जब्त करता है या निरुद्ध करता है, कारावास की अवधि से जो छः मास तक हो सकती है, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन उस तिथि से, जिसको अपराध किया गया अभिकथित है, एक मास की समाप्ति के बाद संस्थित नहीं किया जाएगा।

[2][34. * * * * * * * *]

कार्यवाहियां संस्थित करना।

35. धारा 33 के अधीन के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक [3][या निरीक्षक] के प्राधिकार द्वारा या के अधीन के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा।

मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता।

36. कोई भी मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन तब तक किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा जब तक [4][वह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न हो।

प्रतिपूर्ति के लिए दावे का वर्जन।

37. धारा 18 में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के कारण किसी [5][पशुधन या पक्षी] तथा वस्तु के नाश के सम्बन्ध में या उसको हुई किसी अन्य हानि, क्षति, अहित या असुविधा के सम्बन्ध में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

1. 1961, के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1961 के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 8 द्वारा धारा 34 का लोप किया गया।
3. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1961 के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1961 के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 9 द्वारा जोड़े गए।

37क. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने किन्हीं अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। प्रत्यायोजन।

38. (1) [1][राज्य] सरकार इस अधिनियम से संगत निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है, अर्थात् :— राज्य सरकार की विनियम तथा नियम बनाने की शक्ति।

(क) धारा 8 के अधीन निरीक्षक के प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्तियों को परिनिश्चित करना;

(ख) धारा 10 के अधीन [2][पशुधन या पक्षियों] को बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों या अन्य एकत्रीकरणों में रखने का प्रतिषेध है या विनियमन करना;

(ग) धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन वाहिकाओं या वाहनों को रोगाणुनाशित करने के लिए तथा धारा 15 के अधीन [2][पशुधन या पक्षियों] के अलगाव या पृथककरण के लिए स्थान नियत करना;

(घ) धारा 14 के अधीन [2][पशुधन या पक्षी] का मरणोपरान्त परीक्षण तथा धारा 17 की उप-धारा (1), (2) तथा (3) के अधीन [2][पशुधन या पक्षियों] के परित्याग को विनियमित करना;

(ङ) धारा 18 के अधीन भुगतानयोग्य प्रतिपूर्ति की अवधारणा के लिए उपबन्ध करना;

(च) धारा 19 के अधीन पशु-चिकित्सा शल्य-चिकित्सक तथा निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग विनियमित करना;

(छ) धारा 21 की उप-धारा (2) तथा धारा 22 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी विहित करना;

(ज) धारा 24 के अधीन निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्ति के प्ररूप तथा विषय-वस्तुएं तथा परिस्थितियां जिनके अधीन वे प्रदान की जा सकती है, विहित करना;

(झ) स्वामी की ओर से उपगत खर्चों के लिए धारा 27 के अधीन प्रमाणपत्रों में अनुसरण किए जाने वाले प्रभारों के मानक विहित करना;

(ञ) [2][पशुधन या पक्षी] जो संक्रामी हैं या जिनके संक्रामी होने का सन्देह है के अलगाव, निरोध, उपचार जिसमें निर्जीवाणुकरण तथा इनोकुलेशन शामिल है तथा परित्याग विनियमित करना तथा जीव जन्तुओं के शवों तथा जीव जन्तुओं के शवों के भागों का परित्याग;

---

1. विधि-अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा "प्रान्तीय" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।

2. 1961, के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ट) निरीक्षकों के कृत्यों तथा शक्तियों को विनियमित करना तथा उनकी योग्यताएं विहित करना ;

(ठ) रीति, जिसमें अधिनियम के अधीन कोई रिपोर्ट की जाएगी या नोटिस दिया जाएगा, विहित करना;

(ड) [1][हरियाणा] [2][राज्य] या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग या स्थान में प्रवेश तथा [1][हरियाणा] [2][राज्य] में [3][पशुधन या पक्षी], जीवित या मृत, या [3][पशुधन या पक्षियों] के भाग चारा, श्य्योपकरण या अन्य वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन प्रतिषिद्ध या विनियमित करना;

(ढ) संक्रामी [3][पशुधन या पक्षियों] या संक्रामी [3][पशुधन या पक्षियों] के शवो के विक्रय या दुर्व्यापार को प्रतिषिद्ध या सीमित करना;

(ण) सामान्य वाहकों द्वारा प्रयोग की गई वाहिकाओं या वाहनों का विसंक्रमण, [3][पशुधन या पक्षियों] के लिए प्रयोग किए जाने वाले भवनों, यार्डों या अन्य स्थलों की सफाई तथा विसंक्रमण तथा उनमें तथा उनके निकट पाए गए संक्रामित पदार्थ या वस्तुओं का नाशकरण विनियमित करना;

(त) संक्रामी होने के संदिग्ध [3][पशुधन या पक्षियों] को उपयोजित किए जाने वाले परीक्षण विहित करना;

(थ) रीति, जिसमें [3][पशुधन या पक्षियों] को नष्ट किया जाएगा, तथा रीति, जिसमें अधिनियम के अधीन अभिग्रहण किए गए जीव जन्तु शवों या जीव जन्तु शवों के भाग, चारा, श्य्योपकरण या अन्य वस्तुओं का निपटान किया जाएगा, विहित करना;

(द) निरोध की अवधि तथा अन्तर्राज्यिक संसर्गरोध स्टेशनों पर टीका लगाने तथा चिह्नित करने के लिए फीस की राशि विहित करना;

(2) इस धारा के अधीन नियम बनाने में [4][राज्य] सरकार निदेश दे सकती है कि इसका कोई भंग जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, एक सौ रुपये तक या दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

पूर्व प्रकाशन के अधीन रहते हुए विनियम तथा नियम बनाने की शक्ति।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई विनियम तथा नियम बनाने की शक्ति विनियमों या नियमों को, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शर्त के अधीन दी जाती है।

1. विधि-अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
2. विधि-अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा "प्रान्त" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
3. 1961 के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. विधि-अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा "प्रान्तीय" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम के अधीन [1][राज्य] सरकार द्वारा बनाए गए सभी विनियम तथा नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण।

40. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

---

1. विधि-अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।

परिशिष्ट - I

[1][पशुधन तथा पक्षी] रोग अधिनियम, 1948, की धारा 4 में निर्दिष्ट रोगों की अनुसूची।

अंग्रेजी नाम	जन भाषा नाम
1	2
1. रेन्डरपेस्ट और कैटल प्लेग ।	1. माता, वाह, शीतला मोक, जेहमत।
2. फुट-एन्ड-माउथ डिजीज।	2. रोड़ा, मुंह-खुर।
3. हेमररैजइक सेप्टिसीम्इअॅ।	3. गल-घोटू, गड़ही।
4. ब्लैकक्वॉ:ट।	4. फर, सूजा।
5. ऐन्थ्रैक्स।	5. सत, गोली।
6. टयूबॅः क्यूलोस्इस।	6. तपेदिक।
7. जोहनज डिज़ीज।	7. पुराना दस्त।
8. ग्लैन्इॅज एन्ड फासि।	8. बद कनार।
9. एपिजॉटिक लिम्फानजिटीस।	9. जेहराबाद।
10. डुऑइन।	10. आतशिक-ए-अस्पान।
11. रेबीज़।	11. हलकापन, बावलापन, पागलपन।
12. सूरा।	12. फेटा, तबेरसा और सोकड़ा।

1. 1961, के पंजाब अधिनियम 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

आर० एस० मदान,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।